संख्या-284/2016/1582/22-2-2016-17(11)/2007

प्रेषक,

सत्येनद्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जंगबहादुर पुत्र श्री रामजीत, निवासी जनपद-देवरिया की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34851/प्रोबेशन-3/(एम-12-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जंगबहादुर पुत्र श्री रामजीत, निवासी ग्राम-पिपरावारी, थाना-गौराबाजार, जनपद-देवरिया का रहने वाला है। बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 22-08-1975 को अपरान्ह लगभग 01:00 बजे खेत से घास इक्कठा कर रही रामेश्वर केवट की 14 वर्षीय पुत्री लालती के साथ बलात्कार किया तथा उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-127/1976 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 376 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया द्वारा दिनांक 25-06-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2016 तक 21 वर्ष 06 माह 27 दिन की अपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी 01 सहअभियुक्त है जो कारागार में निरूद्ध है। पुलिस अधीक्षक एंव जिला मजिस्ट्रेट देवरिया ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, बन्दी के जेल से रिहा होने से कानून में आस्था बरकरार रहेगी, सामाजिक आर्थिक दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई उपयुक्त है किन्तु समाज के लिए अनुपयुक्त है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर खेत से घास इक्कठा कर रही रामेश्वर केवट की 14 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्री लालती के साथ बलात्कार कर अत्यन्त निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, देवरिय द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जंगबहादुर पुत्र श्री रामजीत, निवासी जनपद-देवरिया को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जंगबहादुर (बन्दी संख्या-41577) पुत्र श्री रामजीत निवासी जनपद-देवरिया के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-284/2016/1582(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-284/2016/1582/22-2-2016-17(11)/2007

दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जंगबहादुर पुत्र श्री रामजीत, निवासी ग्राम-पिपरावारी, थाना-गौराबाजार, जनपद-देवरिया का रहने वाला है। बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 22-08-1975 को अपरान्ह लगभग 01:00 बजे खेत से घास इक्कठा कर रही रामेश्वर केवट की 14 वर्षीय पुत्री लालती के साथ बलात्कार किया तथा उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-127/1976 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 376 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया द्वारा दिनांक 25-06-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2016 तक 21 वर्ष 06 माह 27 दिन की अपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी 01 सहअभियुक्त है जो कारागार में निरूद्ध है। पुलिस अधीक्षक एंव जिला मजिस्ट्रेट देवरिया ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, बन्दी के जेल से रिहा होने से कानून में आस्था बरकरार रहेगी, सामाजिक आर्थिक दशा में बन्दी की समयपूर्व रिहाई उपयुक्त है किन्तु समाज के लिए अनुपयुक्त है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर खेत से घास इक्कठा कर रही रामेश्वर केवट की 14 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्री लालती के साथ बलात्कार कर अत्यन्त निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, देवरिय द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जंगबहादुर पुत्र श्री रामजीत, निवासी जनपद-देवरिया को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।